

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 318] No. 318] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2014

सा.का.नि. 402(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार आयोग भर्ती नियम (सदस्य), 2013 को, जहां तक इसका संबंध सदस्य)प्रौद्योगिकी(के पद से है, जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड)i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि .695(अ), तारीख 10.10.2013 में प्रकाशित किए गए थे, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया है, सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग का दूरसंचार आयोग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारं**भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार आयोग सदस्य(प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूचियों के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक विनिर्दिष्ट हैं।

2437 GI/2014 (1)

4. निरर्हता—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सदस्य	1* (2014) *कार्यभार	साधारण केन्द्रीय सेवा	रु. 80000 (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(प्रौद्योगिकी)	के आधार पर परिवर्तन	समूह "क " राजपत्रित			
	किया जा सकता है।	अननुसचिवीय			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा या आमेलन भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है)/ आमेलन: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्ध-सरकारी/कानूनी निकायों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने उच्चतर वेतनमान

एच)एजी(अर्थात् 67000-79000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-आवश्यक अर्हताएं : (।) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरी में या इंजीनियर संस्थान डिग्री [एएमआईई] (इलेक्ट्रिकल) के सहयुक्त सदस्य या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार संस्थान (आईईटीई) से स्नातक । (ii) सरकारी या औद्योगिक उद्यमों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का अभिदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विधि का ज्ञान (आईटीयू) भी सम्मिलित है। वांछनीय अर्हताएं :- किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से वैद्युत इलेक्ट्रोनिक्स और वैद्युत संचार इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान मास्टर डिग्री। ॥ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री. व्यापार प्रशासन एमबीए)) या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे। टिप्पण 2 : केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

सीमा आवेदन प्राप्त करते की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिष्णण 3: आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अविम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पावता की शर्तों आसेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविष्ट सेवा हो, आसेलन के पात्र होंगे। दिष्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आसेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोत पुतरिक्तित वेतन संस्ता की सिक्तारियों पर आधारित पुतरिक्तित वेतन संस्ता की सिक्तारियों पर आधारित पुतरिक्तित वेतन संस्ता को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुतरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए थेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उस्प्रत का साधारण सिल्यापर ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिक्तारियों पर आधारित विस्तारित तल्यामी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की महिस्तारियों पर आधारित विस्तारित तल्यामी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।			द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। िटप्पण 3: आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रात की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशय से प्रतिनियुक्ति या आमेलन के पात्र होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थानम ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड है उक्त वेवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारिता तत्ल्यानी ग्रेड वेतन या वेतनसमान में की गर्ड सेवा समझी			· ·
होगी। दिष्पण 3: आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकाती जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशेष सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। दिष्पण 4: प्रतिनेयुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का दिस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद पर दिस्तारित होंगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान वा साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
िष्णण 3: आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशय सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िष्णण 4: प्रतिनिवृक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन संन्य हो पह लोग केवल उस पर पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विति किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान तिसी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्ते आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान का साधारण प्रतिस्वापय ग्रेड केंद्रीय वेतन या वेतनमान सित्ती एक केंप्रतिस्वापय ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्वापय ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिकारीशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की वहां पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की यह वेतन या वेतनमान में की सहां पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की यह वेतन या वेतनमान में की सहां पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की सहां सांचा			
सामान्य पात्रता की शर्ते आमेलन के मामलों में लागू नही होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशेष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उत्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
मामलों में लागू नही होंगी। ऐसे अधिकारी जिनकी रिक्ति होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशेष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटपण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विती किसी उन्नयन का साधारण ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की
अधिकारी जिनकी रिक्त होने की तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनि किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
तारीख को न्यूनतम एक वर्ष की अविशष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
अविशष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र होंगे। िटपण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			*
होंगे। िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संत्वान का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ के लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			**
िटप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			अवशिष्ट सेवा हो, आमेलन के पात्र
आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			होंगे ।
किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के
2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए
जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी,
सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			2006 से पहले या उस तारीख से
वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान विनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की
है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			9
को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			वेतन संरचना का विस्तार किया गया
अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			है, नियमित आधार पर की गई सेवा
साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			,
एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			अधिक पूर्व पुनरीक्षित् वेतनमान का
यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
वेतनमान बिनी किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी			
वेतनमान में की गई सेवा समझी			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक	
		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
आमेलित किए जाने वाले व्यक्तियों की पृष्टि के लिए समूह	"क" विभागीय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
पुष्टिकरण समिति :—		
1. मंत्रिमंडल सचिव	—अध्यक्ष	टिप्पण: आयोग को भर्ती की संपूर्ण प्रक्रियाओं में अन्तर्वलित किया जाएगा।
2. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव	—सदस्य	म अन्तवालत ।कथा आएगा।
3. गृह सचिव	—सदस्य	
4. सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	—सदस्य	
5 सचिव, दूरसंचार विभाग	—सदस्य.	

[फा. सं.1-1/2010-प्रशासन-I]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

- **G.S.R.** 402(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Telecom Commission (Members) Recruitment Rules, 2013 so far as it relates to the post of Member (Technology), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.695(E), dated 10.10.2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Technology), Telecom Commission of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, namely:-
- 1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Commission Member (Technology), Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedules aforesaid.
 - 4. **Disqualification.**—No person
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the	Number of post	Classification	Pay Band and	Whether selection	Age Limit for
post			Grade Pay or Pay	or Non-selection	Direct Recruits
			Scale	post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MEMBER	1*	General Central	80000 (FIXED)	Not applicable	Not applicable
(Technology)	(2014)	Services Group			
	*Subject to variation	'A' Gazetted Non-			
	dependent on	Ministerial			
	workload.				

Educational and other qualification required for Direct Recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (Including short-term contract/Absorption)	Deputation (including short- term contract)/absorption: Officers of Central Government or State Governments or
				Government of Union Territories or Semi Government/Statutory Bodies/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Recognised Research Institutions.
				A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
				(II) minimum two year's of regular service in the Higher Administrative Grade (HAG) scale that is Rs. 67000-79000 or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis; and
				(B) Possessing the following educational qualifications and experience:-
				Essential Qualifications:
				(I) Degree in Engineering in Electrical or Electronics and Electrical Communications or Computer Science from a recognised institution or university or Associates Member of the Institution of Engineers [AMIE (Electrical)] or Graduate from Institute of Electronics and Telecommunications (IETE). (II) Working experience of twenty years in the field of Telecommunications Technology in Government or industrial enterprises including exposure to and knowledge of International Telecommunications Union and the Law of International Telecommunications Union (ITU).

		Desirable Qualifications:
		I. Masters degree in Engineering
		in Electrical or Electronics and
		Electrical Communications or
		Computer Science from a
		recognised institution or
		university. or
		diff versity. or
		II. Masters degree in
		Management Studies, Master
		degree in Business
		Administration (MBA)/Public
		Administration from a
		recognized institution or
		university.
		Note-1: Officers working in
		Central or State or Union
		Territory Governments shall
		only be eligible for absorption.
		Note-2: Period of deputation
		(including short-term contract) in
		another ex-cadre post held
		immediately preceding this
		appointment in the same or some
		other organisation or Department
		of the Central Government shall
		ordinarily not to exceed five
		years. The maximum age limit
		for appointment by deputation
		(including short-term contract)
		shall be not exceeding fifty six
		years as on the closing date of
		receipt of applications)
		Note-3: The normal eligibility
		conditions of maximum age of
		fifty six years on the date of
		closing of receipt of application
		shall not be applicable in cases
		of absorption . The officers with
		minimum one year's residual
		service on the date of occurrence
		of vacancy shall only be eligible
		for appointment by absorption
		Note-4: For the purpose of
		appointment on deputation or
		absorption basis, the service
		rendered on a regular basis by an
		officer prior to the 1.1.2006 (the
		date from which the revised pay
		structure based on the 6th
		Central Pay Commission
		recommendation has been
		extended) shall be deemed to be
		service rendered in the
		corresponding Grade Pay or Pay
		Scale extended based on the
		recommendations of the Pay
		Commission except where there
		has been merger of more than
		one pre-revised scale of pay into
		one grade with a common Grade
 		Pay or Pay Scale, and where this

_	
	benefit will extend only for the
	post(s) for which that Grade Pay
	or Pay Scale is the normal
	replacement grade without any
	upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exist composition	ets what is its	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'A' Departmental Confirmation confirmation of absorbees:—	Committee for	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
Cabinet Secretary Principal Secretary to Prime Minister	—Chairman —Member	Note:—The Commission shall be involved in the whole process of Recruitment
3. Home Secretary	— Member	
4. Secretary (Personnel), Department of Personnel and Training	—Member	
5. Secretary, Department of Telecom	—Member	

[F. No.1-1/2010-Admn.I]

ANURADHA GANESH, Under Secy.